भारत काबुल में खोलेगा दूतावास

तालिबान शासन के बीच बड़ा राजनयिक फैसला

- जयशंकर-मुत्ताकी की मुलाकात में अहम ऐलान
- काबुल में फिर गूंजेगी भारतीय राजनयिक आवाज

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर. चार साल पहले जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था, भारत ने अपने दूतावास को बंद कर दिया था. लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय हालात और कूटनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव आया है. भारत ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अफगानिस्तान के साथ फिर से पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल कर दिए हैं और काबुल में अपना दूतावास फिर से खोलने की घोषणा की है.

भारत ने अफगानिस्तान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को फिर से मजबूत करते हुए काबुल में पूर्ण दूतावास खोलने की घोषणा की है. यह फैसला शुक्रवार को नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के बीच हुई बैठक के बाद सामने आया. तालिबान शासन के दौरान भारत द्वारा लिया गया यह सबसे बड़ा और अहम कूटनीतिक कदम माना जा रहा है. बैठक के दौरान जयशंकर ने साफ कहा कि अफगान हमारे लिए काफी अहम हैं. भारत ने हमेशा अफगानिस्तान की जनता के साथ खड़ा रहने का प्रयास किया है. उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही काबुल स्थित भारतीय तकनीकी मिशन को पूर्ण राजनयिक दूतावास का दर्जा दिया जाएगा.

इस मुलाकात के दौरान मुत्ताकी ने भारत के प्रति आभार व्यक्त करते हुए यह भरोसा भी दिलाया कि अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल कभी भी भारत के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा अफगान जनता की मदद की है, और तालिबान शासन भारत के साथ बेहतर रिश्तों के लिए प्रतिबद्ध है.

> गौरतलब है कि अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने काबुल से अपने सभी राजनयिकों को वापस बुला लिया था. इसके बाद भारत ने एक तकनीकी मिशन के जरिए सीमित राजनयिक उपस्थिति बनाए रखी थी. अब काबुल में रूस, ईरान, चीन और पाकिस्तान समेत कई देशों के दूतावास पहले से ही काम कर रहे हैं, लेकिन भारत का यह फैसला कई मायनों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है.

रक्षा क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध भारत और ब्रिटेन

नयी दिल्ली. भारत और ब्रिटेन ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करते हुए रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है. रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शुक्रवार को मुंबई में ब्रिटेन के रक्षा राज्य मंत्री वर्नोन कोकर के साथ द्विपक्षीय बैठक की. दोनों नेताओं के बीच यह बैठक ब्रिटिश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की भारत यात्रा के दौरान हुई. बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की और भारत तथा ब्रिटेन के बीच सहयोग को अधिक मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की. रक्षा राज्य मंत्री ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि विमानवाहक पोत प्रिंस ऑफ वेल्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सीएसजी ने भारत के पश्चिमी तट पर भारतीय नौसेना के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण-25 के समुद्री चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया. सीएसजी अभी मुंबई और गोवा में बंदरगाह चरण से जुड़ी गतिविधियों में शामिल है.

M.P. INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(Government of Madhya Pradesh Undertaking)
(Formerly M.P. Audyogik Kendra Vikas Nigam (I) Ltd.)
101, First Floor, Atulya IT Park, Near Crystal IT Park, Khandwa Road, Indore-452001 (M.P.)
Phone : (0) 0731-2970611, 2974363, 2971311, Fax No. : 0731-2972629
Website : invest.mp.gov.in, E-mail : ed.roind@mpidc.co.in, CIN : U51102MP1977SGC001392

क्रमांक/एमपीआईडीसी/क्षे.का.इं/प्लानिंग/2025/13119 — दिनांक : 10.10.2025

जाहिर सूचना

मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम की मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन योजना पीथमपुर के अन्तर्गत भू-स्वामियों से सहमति प्राप्त कर क्रियान्वयन निम्नलिखित भूमि पर किया जा रहा है :-

क्र.	गांव	तहसील	जिला	भू-स्वामी	खसरा	रकबा हे.
1.	कालीबिल्लोद	देपालपुर	इंदौर	हेमंत बंसल पिता सुशील कुमार बंसल	208/1	0.380
2.	कालीबिल्लोद	देपालपुर	इंदौर	रामप्रसाद गनपथि शेनॉय पिता हरदी गनपथि शेनॉय	208/1	0.316
3.	कालीबिल्लोद	देपालपुर	इंदौर	माधव विजयवर्गीय पिता मुकेश विजयवर्गीय	208/1	0.253
4.	कालीबिल्लोद	देपालपुर	इंदौर	श्वेता आचार्य पति आशीष आचार्य	208/1	0.380
5.	कालीबिल्लोद	देपालपुर	इंदौर	विजय जादवानी पिता मनोहरलाल जादवानी पलक जादवानी पति विजय जादवानी	208/1	0.253
6.	कालीबिल्लोद	देपालपुर	इंदौर	विनि बड़जात्या पिता विजय बड़जात्या	208/1	0.345
7.	कालीबिल्लोद	देपालपुर	इंदौर	सविता दुबे पति तपन दुबे	208/1	0.316
8.	कालीबिल्लोद	देपालपुर	इंदौर	मेसर्स एस पी 107 इंवेस्टमेंट वेंचर्स तर्फे प्रखर अग्रवाल पिता प्रदीप कुमार अग्रवाल	208/1	0.506
9.	कालीबिल्लोद	देपालपुर	इंदौर	चारू जैन पिता नितिन नन्दगांवकर	208/1	0.253
10.	कालीबिल्लोद	देपालपुर	इंदौर	नीरू जैन पिता नितिन नन्दगांवकर	208/1	0.253
11.	कालीबिल्लोद	देपालपुर	इंदौर	पुनम चौरसिया पति राजेश चौरसिया	208/1	0.253
12.	सलमपुर	देपालपुर	इंदौर	श्री हनी चावला पुत्री श्री जगदीश प्रसाद चावला	313/3	0.167
					313/4	0.167

यदि उक्त भूमि के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था, निकाय, शासकीय या अर्धशासकीय विभाग, वित्तीय संस्था, बैंक का कोई ऋण भार, हक, अधिकार तथा विवाद आदि हो अथवा इस भूमि के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति हो तो इस **सूचना के प्रकाशन से 07 दिनों में** निम्न पते पर मय दस्तावेज के प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात प्राप्त किसी आपत्ति पर निगम द्वारा विचार नहीं किया जा सकेगा।

पता : एम.पी.आई.डी.सी., क्षेत्रीय कार्यालय, प्रथम तल अतुल्य आई.टी. पार्क, खण्डवा रोड, इन्दौर
फोन : 0731 - 2971611, 2974363, 2971311, फैक्स : 0731-2972629, ई-मेल : ed.roind@mpidc.co.in

म.प्र. माध्यम/122498/2025 — **कार्यकारी संचालक**

दलित आईपीएस पूरण की मौत पर केजरीवाल का फूटा गुस्सा

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर. हरियाणा में जातीय उत्पीड़न के चलते दलित आईपीएस अफ़सर पूरण कुमार की आत्महत्या से देश में रोष है. आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे इंसाफ की लड़ाई बताया. हरियाणा कैडर के दलित आईपीएस अधिकारी पूरण कुमार की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. जातीय उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पूरण कुमार ने जान दे दी. इस घटना पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया मंच ङ्क पर तीखा आक्रोश जताया. केजरीवाल ने लिखा, हरियाणा के दलित आईपीएस पूरण कुमार को जाति के नाम पर इतना प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली. दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि जब देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका गया, तब भी कुछ ट्रोल सोशल मीडिया पर दलितों को नीचा दिखाने और बाबा साहब अंबेडकर तक को गालियाँ देने से नहीं चूके. केजरीवाल ने कहा, आज भारत को ये लोग कहाँ ले आए हैं? उन्होंने जातीय भेदभाव और सामाजिक न्याय की रक्षा को लोकतंत्र की असली परीक्षा बताया. पूरण कुमार के परिजनों और सामाजिक संगठनों ने भी सीबीआई जांच की माँग की है. आप नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे इस लड़ाई को सड़क से संसद तक लेकर जाएंगे. पार्टी जल्द ही एक राष्ट्रीय स्तर का विरोध प्रदर्शन आयोजित करने जा रही है.

फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः तीसरी मंजिल, वालेस टावर 139-140/बी/1, सहार रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे क्रॉसिंग, विले पार्ले (पूर्व) मुंबई - 400 057. **दूरभाषः** 022- 6849 2450, फैक्सः 022- 6741 2313
सीआईएनः U67190MH2007PTC168303 **ईमेलः** info@phoenixarc.co.in, **वेबसाइटः** www.phoenixarc.co.in

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के साथ। इसके द्वारा आम जनता और विशेष रूप से उधारकताओं/गारंटरों/बंधककताओं को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड - समनुदेशक के रूप में जाना जाता था) द्वारा ऋण के समनुदेशन के अनुसरण में फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड को गिरवी रखी गई निम्नलिखित संपत्ति, बकाया राशि और आगे के ब्याज, शुल्क और लागत आदि की वसूली के लिए "जैसी है जहाँ है, जैसी है और बिना किसी सहारे के" के आधार पर "ऑनलाइन ई-नीलामी" के माध्यम से बेची जाएगी, जैसा कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 और 9 के साथ सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नीचे विस्तार से बताया गया है। 2002) को वेबसाइटः www.phoenixarc.co.in/ के माध्यम से नीचे दिए गए विवरण के अनुसार खरीदा जा सकता है।

ई-नीलामी की तिथि और समयः 17-11-2025 / सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

सं. क्र.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ ऋण खाता	मांग सूचना की तिथि और राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य, अग्रिम राशि और अग्रिम राशि जमा करने की अंतिम तिथि
1	लैनः LXDEW00315-160020892 शाखाः देवास उधारकर्ताः कैमुद्दीन हेदर अली खान सह-उधारकर्ताः नजराना बी कैमुद्दीन खान	04-05-2019 रू. 637106/- (छह लाख सैंतीस हजार एक सौ छह मात्र)	प्लॉट नंबर/ए-3 और ए-4 गांव-भूगोर शुजालपुर मंडी 465333 शाजापुर मध्य प्रदेश	आरक्षित मूल्यः रु.100000/- (एक लाख) अग्रिम जमाः रु.10000/- (दस हजार) अग्रिम जमा की अंतिम तिथिः 16-11-2025
2	लैनः LXDEW00216-170022707 शाखाः देवास उधारकर्ताः इकराम रोशन शाह सह-उधारकर्ताः फातमा बी इकराम शाह	13-12-2017 रू. 266945/- (दो लाख छियासठ हजार नौ सौ पैंतालीस मात्र)	प्लॉट नंबर डी-4 और डी-5, ग्राम भुगोर सुजालपुरा,शाजापुर शाजापुर 465333 शाजापुर मध्य प्रदेश भारत	आरक्षित मूल्यः रु.100000/- (एक लाख) अग्रिम जमाः रु.10000/- (दस हजार) अग्रिम जमा की अंतिम तिथिः 16-11-2025
3	लैनः LXPIT00116-170033856 शाखाः पीथमपुर उधारकर्ताः बद्रीलाल पिस्सू भाबर सह-उधारकर्ताः बसंती बदरीलाल भाबर	04-05-2019 रु. 1074923/- (दस लाख चौहत्तर हजार नौ सौ तेईस मात्र)	क्रमांक 673/1 पी एच क्रमांक 15 वार्ड क्रमांक 14 नगर पंचायत राणापुर जिला - झाबुआ 457993 मध्य प्रदेश	आरक्षित मूल्यः रु.1500000/- (पंद्रह लाख) अग्रिम जमाः रु.150000/- (एक लाख पचास हजार) अग्रिम जमा की अंतिम तिथिः 16-11-2025

ई-नीलामी के नियम और शर्तेः 1. नीलामी बोली दस्तावेज के आगे के नियमों और शर्तों और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाती है। बोलीदाता बोली संबंधी जानकारी और सहायता, ई-नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्ति का विवरण और ऑनलाइन जमा किए जाने वाले बोली फॉर्म के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता, मेसर्स मेसर्स आर्का ईमार्ट प्राइवेट लिमिटेड वेब पोर्टलः https://www.auctionbazaar.com/ पर जा सकते हैं। इच्छुक खरीदार उसी पोर्टल पर नीलामी के नियम और शर्तें और प्रक्रिया देख सकते हैं और तरुण रघुवंशी **9324921028** और विजय सिंह 9372505110, शैलेश अयंगर 9833801159 से संपर्क कर सकते हैं, विवरण उपर्युक्त वेब पोर्टल पर उपलब्ध हैं और उनके केंद्रीकृत हेल्प डेस्कः +91 83709 69696, ई-मेल आईडीः contact@auctionbazaar.com पर संपर्क कर सकते हैं। 2. सभी इच्छुक क्रेताओं/बोलीदाताओं को उपरोक्त पोर्टल https://www.auctionbazaar.com/ पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा और उपरोक्त तिथि और समय पर ई-नीलामी में भाग लेने के लिए निःशुल्क यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा। 3. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक क्रेताओं/बोलीदाताओं को सुरक्षित संपत्ति के आरक्षित मूल्य के 10% की वापसी योग्य बयाना राशि के भुगतान का विवरण, पैनकार्ड की प्रतियों, कंपनी के मामले में बोर्ड के प्रस्तावों और पते के प्रमाण के साथ उपरोक्त ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले जमा करना होगा। इच्छुक क्रेताओं/बोलीदाताओं को ऊपर वर्णित प्रत्येक वस्तु/संपत्ति के लिए अलग-अलग ईएमडी जमा करनी होगी। 4. नीलामी के किसी भी चरण में, प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्व सूचना के बोली/प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार/संशोधित/रद्द कर सकता है या नीलामी स्थगित कर सकता है। 5. सफल क्रेता/बोलीदाता को लागू कानून के अनुसार सुरक्षित संपत्ति को अपने पक्ष में हस्तांतरित/सुपुर्द करवाने के लिए देय सभी वैधानिक बकाया, कर, देय शुल्क, क्रय मूल्य पर लागू जीएसटी, स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि का भुगतान करना होगा। 6. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले, भार, नीलामी में रखी गई सुरक्षित संपत्ति के स्वामित्व और सुरक्षित संपत्तियों को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकायों, जिनमें वैधानिक बकाया आदि शामिल हैं, के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। नीलामी विज्ञापन फीनिक्स की किसी भी प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही करेगा। फीनिक्स का अधिकृत अधिकारी किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। 7. संभावित/इच्छुक बोलीदाता को यह वचन देना होगा कि वह दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 29 (ए) के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य नहीं है और केवाईसी दस्तावेजों के साथ ऐसा वचन देने में विफल रहने पर उसे स्वतः ही अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा या उसकी बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

स्थानः मध्य प्रदेश
दिनांकः 11.10.2025
अनुवाद में त्रुटिया विसंगति होने पर अंग्रजी संस्करण मान्य होगा
एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी, फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड

कार्यालय तहसीलदार तहसील हातोद, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक 1847/री.तह./2025 — हातोद, दिनांक 09/10/2025

आर.सी.एम.एस / रा.प्र.क्र. 0001 / अ-20 (5) / 2025-26

उदघोषणा

एतद् द्वारा सर्व सधारण को सूचित किया जाता है कि- आवेदक मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद हातोद तर्फे नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर लेख अनुसार ग्राम हातोद, तहसील हातोद जिला इन्दौर के राजस्व रिकार्ड अनुसार शासकीय भूमि सर्वे नंबर 733 / 958/1/1 रकबा 4.770 हेक्टेयर में से 1.520 वर्गमीटर का आवेदक द्वारा जनहित कार्य (निर्भयसिंह पटेल उद्यान निर्माण कार्य एवं सामुदायिक भवन) हेतु आवंटन / नजूल स्थायी पट्टा चाहा गया होने से जॉच परीक्षण कर जॉच प्रतिवेदन चाहा गया है।

उक्त संबध में जिस किसी को आपत्ति हो तो वह मेरे न्यायालय में दिनांक 24/10 /2025 समय दोपहर 2 बजे तहसील कार्यालय तहसील हातोद जिला इंदौर में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । म्याद बाद आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

उदघोषणा आज दिनांक.09/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई ।

तहसीलदार
तहसील हातोद, जिला इन्दौर (म.प्र.)

आज का इतिहास

1521 : पोप लियो दशम ने इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम को 'आस्था के रक्षक' की उपाधि दी.
1737 : कलकत्ता में आए चक्रवाती तूफान में लगभग तीन लाख लोगों की मौत हो गयी.
1881 : अमेरिकी आविष्कारक डेविड हेंडरसन हॉस्टन ने कैमरों के पहले रोल फिल्म का पेटेंट कराया.
1911 : स्वामी विवेकानन्द की सहयोगी एवं समाज सेविका सिस्टर निवेदिता का निधन.
1942 : बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन का जन्म.

सैन्य चौकियों पर आतंकवादी हमले में आठ सैनिकों की मौत

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शुक्रवार तड़के एक सैन्य चौकी और एक सुरक्षा गश्ती दल पर आतंकवादियों की गोलीबारी में आठ सैनिकों की मौत हो गयी और पाँच अन्य घायल हैं. सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि यह घटना स्थानीय समयानुसार आज तड़के लगभग 4:30 बजे खैबर जिले में हुई, जब आतंकवादियों ने मुख्य चौकी से लगभग 200 मीटर दूर तैनात उसी रेजिमेंट की एक चौकी और ब्लॉक पार्टी पर एक साथ हमला किया. सूत्रों ने कहा, हमलों के दौरान हमलावरों ने अंडर-बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, स्नाइपर राइफल और छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया. सुरक्षा बलों ने तत्काल इसका जवाब दिया और दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी गोलीबारी शुरू हो गयी. उन्होंने कहा कि यह इलाका सुदूर है और संचार संबंधी दिक्कतों के कारण समय पर उचित जानकारी नहीं मिल रही है. अधिकारियों ने क्षेत्र में शनिवार तक कर्फ्यू लगा दिया है.

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड — Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400069.
रतलाम शाखा: ग्राउण्ड फ्लोर, 19, पैलेस रोड, चिंतामन गणेश मंदिर के सामने, रतलाम - 457001 (मध्य प्रदेश)
उज्जैन शाखा: 06/ प्रथम मंजिल, कमला नेहरू मार्ग, फ्रीगंज, आईडीबीआई बैंक के ऊपर, शहीद पार्क के पास, उज्जैन - 456010 (मध्य प्रदेश)
इंदौर विजय नगर शाखा: 104, ओम गुरुदेव प्लाजा, कॉम्प्लेक्स (वार्ड नंबर 29), प्लॉट नंबर 26, स्कीम नंबर 54, (मैकेनिक नगर एक्सटेंशन), विजय नगर, इंदौर 452010 (म.प्र.)
आगर शाखा : ग्राउण्ड फ्लोर, भूमि सर्वेक्षण नंबर 341/2 पूर्वी भाग का मकान, सारंगपुर रोड, छावनी नाका के पास, आगर - 465441 (मध्य प्रदेश)
ग्वालियर शाखा: प्रथम मंजिल, अलखनंदा टॉवर - 2, के सामने आदित्य कॉलेज, सिटी सेंटर, ग्वालियर - 474001 (मध्य प्रदेश)

ई-नीलामी - बिक्री सूचना

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। इसके द्वारा सामान्य रुप से सर्वसाधाण को और विशेष रुप से ऋणी(यों) एवं जमानतदार(ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिसका कब्जा आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है', और 'जो कुछ भी है'** बिना किसी ज्ञात बाधा के आधार पर विक्रय किया जाएगा जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रं.	ऋणी(यो)/सह ऋणी(यो) /जमानतदार	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (RP)	बयाना जमा राशि (ईएमडी) (RP का 10%)	कब्जे का प्रकार
1	(लोन कोड नं. 02210000195 / रतलाम शाखा) मुकेश (ऋणी), नितेश एवं सोहन बाई (सह-ऋणी)	09-05-2025 & ₹ 7,47,760/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, रतन विहार कॉलोनी, जावरा रोड, वार्ड नंबर 1, प्लॉट नंबर अ-33, ताल तहसील, ताल जिला, रतलाम, मध्य प्रदेश - 457118 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - रोड, पश्चिम - प्लॉट नंबर अ-47, उत्तर - प्लॉट नंबर अ-32, दक्षिण - प्लॉट नंबर अ-34	Rs. 9,72,000/-	Rs. 97,200/-	भौतिक
2	(लोन कोड नं. 02010000810 / उज्जैन शाखा) अजय (ऋणी), राजकुमार नायक (जमानतदार)	12-05-2025 & ₹ 7,58,416/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, जी.एफ. सर्वे नंबर 9/1/मिन -1 का भाग आकाश परिसर स्थित मक्सी रोड पंवासा वार्ड नंबर 40 प्लॉट नंबर 122 उज्जैन मध्य प्रदेश 456010 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - प्लॉट नंबर 123, पश्चिम - प्लॉट नंबर 121, उत्तर - रोड, दक्षिण - प्लॉट नंबर 91 एवं 92	Rs. 7,89,480/-	Rs. 78,948/-	भौतिक
3	(लोन कोड नं. 02010000955 / उज्जैन शाखा) अशोक डोडिया (ऋणी), राजू डोडिया (सह-ऋणी)	12-05-2025 & ₹ 3,48,035/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, जीएफ एवं एफएफ वेंकटेश्वर धाम के नाम से ज्ञात, मक्सी रोड, पंवासा वार्ड नंबर 40 प्लॉट नंबर बी-10 उज्जैन, मध्य प्रदेश - 456010. **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - प्लॉट नंबर बी-11, पश्चिम - प्लॉट नंबर बी-9, उत्तर - कॉलोनी रोड, दक्षिण - अन्य मकान	Rs. 4,57,920/-	Rs. 45,792/-	भौतिक
4	(लोन कोड नं. 35310000683 / इंदौर विजय नगर शाखा) विजय (ऋणी), सोनू एवं अजय (सह-ऋणी)	12-05-2025 & ₹ 13,00,242/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, ग्राउण्ड फ्लोर ग्राम कालीबिल्लोद, बगदून रोड के पास, निजी प्लॉट नंबर 10, कालीबिल्लोद, तहसील देपालपुर, इंदौर, मध्य प्रदेश 453001 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - प्लॉट नंबर 44, पश्चिम - रोड, उत्तर - प्लॉट नंबर 9, दक्षिण - प्लॉट नंबर 11	Rs. 10,80,000/-	Rs. 1,08,000/-	भौतिक
5	(लोन कोड नं. 11700000047 / आगर शाखा) राजेन्द्र सिंह (ऋणी), अजब कुंवर राठौर (सह-ऋणी) शैलेन्द्र राठौर (जमानतदार)	06-11-2024 & ₹ 5,44,954/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, सर्वे नंबर 1406, पटवारी हल्का नंबर 16, सर्वे नंबर 1406, वार्ड नंबर 6, गुरुकृपा स्कूल के पास, ग्राम तनोड़िया, शाजापुर, मध्य प्रदेश - 465441 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - विक्रेता की भूमि, पश्चिम - श्मशान घाट का कच्चा रास्ता, उत्तर - बने सिंह जी का मकान, दक्षिण - पप्पू सिंह जी की भूमि	Rs. 7,00,000/-	Rs. 70,000/-	भौतिक
6	(लोन कोड नं. 02200001759 & 02200002199 / रतलाम शाखा) बद्रीलाल चौहान (ऋणी), मंजू बाई (सह-ऋणी) भोला पाटीदार (जमानतदार)	06-11-2024 & ₹ 8,06,943/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, सर्वे नं. 108/1 का भाग, चूना भट्ठा के पास साई विहार कॉलोनी के पीछे वार्ड नंबर 06 राजगढ़ रतलाम, मध्य प्रदेश - 457001. **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - राजेंद्र बोराणा का मकान, पश्चिम - रुक्मणी बाई की भूमि, उत्तर - सड़क, दक्षिण - अन्य का मकान	Rs. 11,00,000/-	Rs. 1,10,000/-	भौतिक

1. केवाईसी, निविदा प्रपत्र एवं स्वीकृत नियम एवं शर्तों (निविदा दस्तावेज) के साथ बयाना राशि का डीडी जमा करने की अंतिम तिथि **30-10-2025 शाम 5:00 बजे** तक ऊपर उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर या **https://bankeauctions.com** पर अपलोड की गई है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदा दस्तावेजों को अमान्य निविदा माना जाएगा और तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
2. संपत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव (नीलामी तिथि) खोलने की तिथि **31-10-2025 प्रातः 10:00 से 11:00 बजे तक https://bankeauctions.com** पर है।
3. जैसा कि ऊपर बताया गया है, एएचएफएल संपत्ति पर लंबित किसी भी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति की नीलामी **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो है वह है' के आधार पर** की जाएगी।
4. डिमांड ड्राफ्ट केवल 'आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में बनाया जाना चाहिए।
5. नीलामी/बोली केवल वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से 'ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक बोली' के माध्यम से होगी। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट देखें।
6. इच्छुक बोलीदाताओं को **https://bankeauctions.com/registration/ signup**, लिंक के माध्यम से पोर्टल मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर अपना नाम पंजीकृत करना चाहिए, और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ई-नीलामी पर ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं।
7. अधिक जानकारी के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, **दिपक मालवीय (संपर्क नंबर 7583898990)** या सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, **ई-मेल: tn@c1india.com & support@bankeauctions.com**, फोन नं. **+917291981124 /25 /26** से संपर्क करें। आज तक, एएचएफएल/ एएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों को बेचने, हस्तांतरित करने और/या निपटान करने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है।
8. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एएचएफएल), सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट यानी **www.aadharhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें।
9. नीलामी के लिए बोली वृद्धिशील राशि **रु. 10,000/-** है।
10. यह समाचार पत्र प्रकाशन एवं इसमें निहित डेटा आम जनता के प्रसार के लिए है। इस सामग्री का किसी भी रुप में या किसी भी माध्यम से, चाहे प्रिंट, डिजिटल, किसी भी रुप में इलेक्ट्रानिक प्रकाशन, ईमेल या वेब प्रकाशन, या किसी भी अन्य माध्यम से, संपूर्ण या आंशिक रुप से किसी भी तरह से पुनरुत्पादन, वितरण, प्रसारण या पुनर्प्रकाशन सख्त वर्जित है। किसी भी माध्यम से उपरोक्त सामग्री के किसी भी अनधिकृत उपयोग के परिणामस्वरुप AHFL द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

सही/- प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : मध्यप्रदेश, दिनांक : 11-10-2025 — **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास वि./यां. संभाग बड़वानी (म.प्र.)
दूरभाषः- 07290-224946, ई मेल eendenmbarwani@gmail.com

निविदा आमंत्रण सूचना वास्ते प्रकाशन

निविदा सूचना क्र.79 से 80/व.ले.लि./2025-26 — बड़वानी, दि. 08.10.2025

निम्न कार्य की ऑनलाईन निविदा ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम पोर्टल http://www.mptenders.gov.in पर जारी की जा रही है। निविदा की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है :-

सं. क्र.	ई निविदा क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनु. राशि (रु. में)	धरोहर राशि (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदाकार की श्रेणी	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	2025_NVDA_256367_1	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर (आर.डी. 159.20 कि.मी.) पर स्थित सी.आर. गेट (Size 5m x 3m x 3 no.) का सुधार कार्य मय सामग्री प्रदायगी, टेस्टिंग एवं लेबर चार्जेस इत्यादि सहित पूर्ण कार्य।	422871.00 (रु. चार लाख बाईस हजार आठ सौ इकहत्तर मात्र)	8457.00 (रु.आठ हजार चार सौ सत्तावन मात्र)	2,000.00 (रु. दो हजार मात्र)	नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत	15 दिवस (अनुबंध की की तिथि से)
2.	2025_NVDA_256375_1	इंदिरा सागर परियोजना की जूनापानी डिस्ट्रीब्यूटरी की माइनर पर स्थित एचआर गेट (आर.डी. 0 किमी से आरडी 11.350 किमी) (M1 to M17) (M2-SM1, M4-SM1 M6-SM1-R, M13_SM1-R, SM2-R,SM3 -R, SM4-R, SM5-R, M15-SM1-L, SM2-1, M16-SM1-R) का सुधार एवं सर्विसिंग का कार्य मय सामग्री प्रदायगी, टेस्टिंग एवं लेबर चार्जेस इत्यादि सहित पूर्ण कार्य।	289187.00 (रु. दो लाख नवासी हजार एक सौ सतासी मात्र)	5784.00 (रु. पांच हजार सात सौ चौरासी मात्र)	2,000.00 (रु. दो हजार मात्र)	नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत	15 दिवस (अनुबंध की की तिथि से)

निविदा कार्य के प्रपत्र क्रय करने की तिथि :- 27.10.2025 , 17:30 तक (केवल ऑनलाईन)
निविदा की धरोहर राशि खुलने की तिथि:- 29.10.2025, 10:00 से 29.10.2025, 17:30 तक (केवल ऑनलाईन)
प्राइज बिड खुलने की तिथि :- 29.10.2025, 10:00 से 29.10.2025, 17:30 तक (केवल ऑनलाईन)

निविदा प्रपत्र को उपरोक्त वेबसाइट पर केवल ऑनलाईन क्रय किया जा सकता है। ऑनलाईन भुगतान डेबिट/केश कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट्स के माध्यम से किया जा सकता है। आवश्यक होने पर निविदा में अन्य परिवर्तन की सूचना अलग से प्रकाशित नहीं की जाएगी। ऑनलाईन के माध्यम से ही कॉरिजेंडम किये जाएंगे। निविदा की विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.mptenders.gov.in का अवलोकन करें।

कार्यपालन यंत्री
जी-19785/25 — **नर्मदा विकास वि./यां. संभाग बड़वानी (म.प्र.)**

परिशिष्ट IV (नियम 8(1)) आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
CIN: U67100MH2007PLC174759
रिटेल केन्द्रीय एवं पंजीकृत कार्यालय : एडलवाइस हाउस, ऑफ सी.एस.टी. रोड, कलीना, मुम्बई 400098

जबकि यहाँ उल्लिखित सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (नियम 3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे यथा उल्लखित मांग सूचना जारी की थी जिमसें कर्जदार(ओं) से सूचना में उल्लिखित राशि उक्त सूचना प्राप्ति की तारीख से **60 दिनों** के अंदर भुगतान करने के लिए कहा।

इसके बाद, असाईनर संदर्भित ने अधोल्लिखित वित्तीय परिसंपत्तियाँ **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** को स्वयं/अपनी **उल्लेखित विभिन्न ट्रस्ट के ट्रस्टी** की क्षमता से कार्यरत (यहाँ आगे **"ईएआरसी"** कहा गया है) असाइनमेंट एग्रीमेंट के अनुसार सरफासी अधिनियम, 2002 की धारा 5 के तहत एसाइन कर दीं। ईएआरसी असाईनर की भूमिका में आ गया और वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में विचाराधीन प्रतिभूति हितों, गारंटी, रेहनों सहित असाईनर के सभी अधिकार, हक और हित कर्जदार द्वारा ली गई वित्तीय सहायता के संबंध में **ईएआरसी** को निहित हो गए हैं और **ईएआरसी** प्रत्याभूत लेनदार के रूप में अपने सभी अधिकार प्रयोग करता है।

कर्जदार द्वारा राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी की क्षमता से अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का **भौतिक कब्जा** प्रत्येक संपत्ति के समक्ष उल्लेखित दिनांक को ले लिया है।

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधो की ओर आकृष्ट किया जाता है। विशेष रूप से कर्जदार और सामान्य रूप में सर्वजन को संपत्ति से कोई लेन-देन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति का कोई भी लेन-देन नीचे उल्लिखित राशि और इस पर ब्याज के लिए **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा।

समनुदेशक का नाम	ट्रस्ट का नाम	ऋण खाता नंबर	उधारकर्ता एवं सह-उधारकर्ता(ओं) का नाम	मांग सूचना की राशि एवं सूचना दिनांक	कब्जे की तारीख	कब्जे की स्थिति
पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड	EARC TRUST SC-477	800012758 & 800012863	**1. श्री अनिल कुमार उत्राधी** (ऋणी) **2. श्रीमती उषा उत्राधी** (सह-ऋणी)	**Rs. 8,95,703.00** (रुपये आठ लाख पिंच्यान्वे हजार सात सौ तीन मात्र) एवं **Rs.5,72,119.00/-** (रुपये पांच लाख बहत्तर हजार एक सौ उन्नीस मात्र) एवं 23/04/2019	09-10-2025	भौतिक आधिपत्य

अचल संपत्ति का विवरण: उक्त संपत्ति के समस्त भाग एवं अंश - प्लॉट नंबर एम-07, सक्षम-1, फ्लैट नंबर 104 प्रथम तल, श्री कृष्णा पैराडाइज, ग्राम राऊ, तह. एवं जिला इंदौर मध्य प्रदेश 452002, सुपर बिल्ट-अप एरिया- 680 वर्ग फीट (63.19 वर्ग मीटर) है एवं **इसकी चर्तुसीमा इस प्रकार है:-** पूर्व में: फ्लैट नंबर 102, उत्तर में: पैसेज के बाद फ्लैट नंबर 103, पश्चिम में: फ्लैट नंबर 106, दक्षिण में: एम 8 की भूमि

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 11.10.2025
प्राधिकृत अधिकारी
एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड

Edelweiss Asset Reconstruction